FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

सिप्यारी देवी पत्नि तेजपाल माली
निवासी– हुरडा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार हुरडा

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 136 रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 286/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ... इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2019	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी के पैरोकारराज अनुपस्थित। वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की एकतरफा बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादीया ने दिनांक 05.05.2016 को ओमप्रकाश पिता रामगोपाल महाजन से रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के द्वारा आराजी मुतदाविया को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, किन्तु रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र लिखवाते समय टाईपिंग गलती से वादीया का नाम सिप्यारी की जगह सप्यारी नाम लिख दिया गया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भी सप्यारी के नाम से निर्णित कर दिया गया। जबकि वादीया का नाम अन्य सभी दस्तावेजों में सिप्यारी है अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सप्यारी की जगह सिप्यारी नाम दर्ज कराने का आदेश फरमाया जावें। मैनें वकील वादी को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मौजा हुरडा सेजा तहसील हुरडा आराजी नम्बर– 2087 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा सप्यार देवी पत्नि तेजमल माली साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा आराजी नम्बर– 1986, 1987 किता 2 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि ओमप्रकाश पिता रामपाल डाड महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 3543 दिनांक 29.06.2016 बेचान से सप्यार देवी पत्नि तेजपाल माली के नाम दर्ज रिकार्ड होना एवं आराजी नम्बर– 1979 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि ओमप्रकाश पिता रामगोपाल, प्रेमलता, स्नेहलता, शान्ता पुत्रीयाँ रामगोपाल नानी देवी पत्नि रामगोपाल महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 3542 दिनांक 29.06.2016 बेचान से सप्यार देवी पत्नि तेजपाल माली के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।	
सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा		

Scanned by CamScanner

यहाँ वादीयाँ का कथन है कि उक्त आराजीयात उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई थी, विक्रय पत्र लिखते समय उनका नाम टाईपिंग गलती से सिप्यारी की जगह सप्यारी लिख दिया गया था और इसी गलती से राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण निर्णित हो जाने से गलत नाम दर्ज चला आ रहा है। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2016 की फोटो प्रति तथा भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र, आयकर विभाग का पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई। वादीया के द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र में वादीया का नाम सप्यार देवी पत्नि तेजपाल माली निवासी हुरडा अंकित किया जाना प्रकट आया है जबकि वादीया के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादीया का नाम सिप्यारी देवी पत्नि तेजपाल नाली दर्ज होना प्रकट आया है। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

"निर्णय"

दावा वादीया डिक्री किया जाकर मौजा हुरडा सेजा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1980 रकबा 02 बिस्वा, 2087 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा आराजी नम्बर– 1986 , 1987 किता 2 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर– 1979 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि के खातेदार सप्यार देवी पत्नि तेजपाल माली के स्थान पर सिप्यारी देवी पत्नि तेजपाल माली अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को खुली अदालत में सुनाया गया ।

(सन्तोष कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner